

न्यायालय उप तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी - राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का कुण्डरी

बनाम

अप्रार्थी अंशरा राम/पुसारा राम निवासी कुण्डरी अन्तर्गत धारा 91 भूराज्य अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 106 / 2018

निर्णय दिनांक 9.10.18

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कुण्डरी ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी. पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सम्वत् 2075 में सरहद कुण्डरी के खसरा नम्बर 179 में किस्म ज.भु. बाला में से रकबा 0.04 हेक्ट. भूमि में बाद व रयाद प्रक लगाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर बाद धारा 91 एल. आर.एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वारंटे अजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी अंशराराम से नोटिस तामीन होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी / अधिवक्ता श्री — ने दिनांक — को उपस्थित होकर जबाब दावा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं निरीक्षक भू.अ. द्वारा प्रमाणित हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी का ग्राम कुण्डरी खसरा नम्बर 179 में किस्म बाला में से रकबा 0.04 हेक्ट. भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमण घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश दिये जाते हैं। लगान दर 16/- रुपये प्रति हेक्ट. की दर से अतिक्रमण रकबा 0.04 हेक्ट. भूमि के 0.64 रुपये लगान का 50 गुणा 32 / - अक्षर बत्तीस रुपये बतौर जुर्माना दायित्व किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्थ लेखाकार व पटवारी हल्का को कमशः मांग कायमी व वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी व। मौके से मौतों व अप से बेदखल कर इजराय की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 9.10.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप तहसीलदार पीलवा

जिला नागौर